संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आज

स्वदेश पंडरिया कवर्धा। पंडरिया विकासखण्ड के ग्राम मझोली में अघोरपीठ श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देव स्थानम् में दि नां क 08/02/2024, दिन गुरूवार समय :- प्रातः 11बजे से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर व निःशुल्क दवाई का वितरण किया जायेगा। निःशुल्क स्वस्थ्य शिविर में जय जगन्नाथ हॉस्पिटल प्रोफेसर कॉलोनी के डॉ. भूपेश कोसरिया, डॉ. सोनल शर्मा, डॉ. दिलीप तिवारी, सूर्या आई हॉस्पिटल के डॉ. दिलीप सिंह, कल्पना आई केयर के डॉ. सहदेव एवं नाड़ी वैद्य श्री लालजी गंधर्व तथा झुमुक लाल मेरावी के द्वारा अपनी सेवाएँ प्रदान की जाएगी। नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क चश्मा वितरण किया जावेगा। अघोर पीठ मंझोली के पास आयोजित स्वस्थ्य शिविर में विभिन्न प्रकार की बिमारियाँ जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, लकवा, पक्षाघात, चर्म रोग, बवासीर, खुजली, आमवात, गठियावात, जोड़ों का दर्द, छाती रोग, गैस, पीलिया आदि की दवाइयाँ निःशुल्क दी जायेगी। अघोर पीठ मंझोली के आयोजित स्वास्थ्य शिविर में अधिक से अधिक लोगो को स्वस्थ्य। लाभ पहुंचाने के उद्देश से धर्मबंधुओं, गणमान्य नागरिकों, सरपंचों, पंचगणों, कोटवार बंधुओं, मितानिन दाईयों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि इस पुनीत कार्यक्रम में अधिक-से-अधिक संख्या में आकर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाकर निःशुल्क दवाईयां प्राप्त करें। ग्रामवासियों से निवेदन है कि इस शिविर का लाभ अवश्य उठावें।

एचडीएफसी बैंक ने बिजनेस क्रेडिट कार्ड रेंज के किया लॉन्च

स्वदेश रायपुर। सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ने आज बिज़नेस मालिकों, उद्यमियों और फ्रीलांसरों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की बिजनेस रेंज के लॉन्च के साथ अपने एसएमई पेमेंट सॉल्यूशंस के विस्तार की घोषणा की। क्रेडिट कार्ड 4 वेरिएंट में उपलब्ध होंगे बिज़फर्स्ट, बिज़ग्रो, बिजपावर और बिजब्लैक। बिजनेस क्रेडिट कार्ड रेज 55 दिनों का बेस्ट इन क्लास ब्याज फ्री क्रेडिट साइकिल प्रदान करती है। इसमें क्रेडिटकार्ड धारक, विभिन्न सर्विसेज के बिल, जीएसटी, आयकर, विक्रेता भुगतान, बिजनेस ट्रैवल और बिज़नेस उत्पादकता उपकरण जैसे मुख्य व्यावसायिक खर्चों पर बचत करती है। यह ऑफर बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले एसएमई पेमेंट सॉल्यूशंस के मजबूत समूह का एक हिस्सा है। एचडीएफसी बैंक का एसएमई भुगतान समाधान स्व रोज़गार करने वाले लोगों एसएमई और एमएसएमई की विविध भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्कूली छात्राओं को अधिकारों के विषय में किया जागरूक

स्वदेश कवर्धा। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के महिला सेल पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है। कि समय-समय पर स्कूली छात्र-छात्राओं एवं महिला समूह, स्कूली शिक्षिकाओं, एवं ऐसी संस्थान जहां पर महिलायें अधिक संख्या में कार्यरत हैं। उन्हें उनके अधिकारों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान कर महिलाओं एवं बालक बालिकाओं पर घटित होने वाले अपराधों की जानकारी प्रदान कर जागरूक करें, ताकि महिला एवं बालक/ बालिकाओं से संबंधित अपराधों में पूर्णता अंकुश लगाया जा सके। इसी तारतम्य में महिला सेल कबीरधाम द्वारा आज दिनांक- 07/02/2024 को शासकीय पुर्व माध्यमिक शाला लालपुर कला की स्कूली बालिकाओं, शिक्षक/ शिक्षिकाओं को बालक/बालिकाओं/महिलाओं के सुरक्षा के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान कर कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ से बचाव, साइबर अपराध से बचने के उपाय, पोक्सो एक्ट, दहेज प्रथा, यातायात नियमों की जानकारी, गुड टच बैड टच, अभिव्यक्ति ऐप के बारे बताया गया। व जिनके पास भी मोबाइल फोन थे उनके मोबाइल फोन पर अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराया गया।

विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेन्टर का किया निरीक्षण– बताया छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी

रिमोट सेंसिंग तकनीक से निर्माण संबंधित परियोनाओं की मानिंटरिंग बेहतर होगी – उपमुख्यमंत्री

स्वदेश संवाददाता, कवर्धा

उप मख्यमंत्री तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री विजय शर्मा द्वारा बीते दिनों अपने विभाग के अधीनस्थ संस्थान छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेन्टर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से चर्चा करते हुए संचालित किये जा रहे योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी ली।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों से प्रदेश में चल रही शासन की विभिन्न निर्माण संबंधित परियोनाओं की मानिंटरिंग रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से मॉनिटरिंग की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उच्च तकनीक का प्रयोग करने से किसी भी परियोजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है। जिससे गड़बड़ी की संभावना कम से कम हो सके। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रिजिनल साइंस सेंटर के ऑडिटोरियम, फन साइंस गैलरी, तारामंडल, 3D गैलरी, साइंस फॉरेस्ट पुल का बारीकी से निरीक्षण किया हुआ उसके बारे में विस्तार से जानकारी ली।

छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों के विज्ञान के प्रति रुझान विकसित किये जाने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यकमों की प्रशंसा की और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों एवं पालको से अनुरोध किया कि उन्हें एक बार अवश्य साइंस रीजनल सेंटर आना चाहिए जिससे बच्चों को प्रायोगिक रूप से विज्ञान की जानकारी हासिल हो। उन्होंने आधुनिक विज्ञान की दिशा में विभाग के दायित्वों हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संस्थानों द्वारा जनहित में किये जा रहे कार्यों में शासन को सहभागी बनाने हेतु मार्गदर्शन दिया।

निरीक्षण के दौरान विधानसभा क्षेत्र कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक एस.एस. बजाज एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के समस्त वैज्ञानिक तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

कुशल रणनीति से दूसरे हाफ में 4 गोल करके पेट्रोलियम बोर्ड को दी 5–1 से शिकस्त

एयर फोर्स दिल्ली का सर्वेश्वरदास ट्राफी पर कब्जा

पुरूषोतम तिवारी, राजनांदगांव

यहां अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चल रही देश की प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता 80 वीं सर्वेश्वरदास ट्राफी के फाइनल में आज एयरफोर्स दिल्ली ने पेट्रोलियम बोर्ड दिल्ली को एक तरफा मुकाबले में 5-1 गोल से परास्त कर खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की।

देश के इस प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में उत्तरार्ध में दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर रही और खेल एकदम टक्कर का रहा।

खेल के छठवें मिनट में पेट्रोलियम बोर्ड के गुरजिंदर सिंह द्वारा पेनल्टी कॉर्नर में बनाए गए गोल की बराबरी अगले ही मिनट में एयरफोर्स के एम बी करियप्पा ने पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलकर कर दिया। इसके बाद उत्तरार्ध तक दोनों ही टीमें काफी दम खम से खेलते हुए एक दूसरे के आक्रमण को विफल कर खेल को रोचक बनाए रखा लेकिन दूसरे हाफ के खेल में वायु सेना ने पूरा खेल ही पलटकर रख दिया।

खेल का दूसरा हाथ पूरी तरह से एयर फोर्स के नाम रहा। एयर फोर्स की टीम ने काफी आक्रामक खेल दिखाते हुए काफी तेज हांकी का प्रदर्शन किया और एक के बाद एक 4 गोल कर विरोधी टीम को सम्हलने का मौका ही नहीं दिया।

मध्यांतर बाद एयर फोर्स ने एक के बाद एक अनेक शानदार मूव बनाए नतीजन उसे 38 में एवं 42 मिनट पर पेनल्टी स्ट्रोक अवार्ड हुआ जिसे उनके फारवर्ड खिलाड़ी नवदीप सिंह ने गोल में परिवर्तित करते हुए अपनी टीम को 3-1 से बढत दिलाते हुए पेट्रोलियम बोर्ड की टीम के हौसले तोड दिये। इसके बाद भी एयर फोर्स ने आक्रमक लगातार जारी रखा और खेल के चौथे क्वार्टर में या कहो खेल के अंतिम मिनटों क्रमशः 57 वे एवं 60 वें मिनट पर राहुल कुमार राजभार ने शानदार मैंदानी गोल करके आपनी टीम एयर फोर्स की 5-1 गोल से जीत सुनिश्चित कर देश की जानी-मानी व प्रतिष्ठित सर्वेश्वरदास ट्राफी अपनी टीम के नाम कर ली। आज ही फायनल मुकाबले के पहले हार्डलाइनर के लिए भी मैच हुआ जिसमें आर्मी इलेवन ने स्टील अथार्टी आंफ इण्डिया (सेल) राउरकेला को एक आसान मुकाबले में 7-1 से हरा कर हार्डलाइनर होने का खिताब अपने नाम किया। विजेता व उप विजेता टीम को मुख्य अतिथि प्रदेश के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ,पूर्व सांसदद्वय मधुसूदन यादव,अभिषेक सिंह व समाजसेवी खूबचंद पारख,राजेन्द्र गोलछा,रमेश पटेल,पप्पू भाटिया,नरेश डाकलिया,शिव वर्मा के हाथों प्रदान किया गया।

विजेता टीम को आयोजन समिति द्वारा विशाल चांदी की ट्रॉफी एवं छ.ग. क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री बल्देव सिंह भाटिया द्वारा प्रदत्त 5 लाख रूपये तथा उपविजेता टीम को विशाल चांदी की ट्रॉफी एवं समाजसेवी बहादुर अली द्वारा प्रदत्त 3 लाख रूपये वहीं तृतीय स्थान प्राप्त टीम आर्मी इलेवन सी.एन.तिवारी ट्रॉफी व श्री रमेश नरेश डाकलिया द्वारा प्रदत्त 51 हजार रूपये नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के चौथे स्थान पर रही सेल अकादमी को मृणाल चौबे द्वारा प्रदत्त ट्रॉफी व 21 हजार रूपये नगाद पुरस्कार दिया गया।

प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार एयर फोर्स के पी.ई पोन्नना को पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग द्वारा प्रदत्त आकर्षक ट्रॉफी व 5 हजार रूपये व राजेश जैन द्वारा प्रदत्त मेन ऑफ द मैच व मेन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। स्पर्धा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तरूण यादव सेल अकादमी को मनीष कमलेश गौतम द्वारा आकर्षक ट्रॉफी व 11 हजार रूपये एवं स्पर्धा की विजेता उपविपजेता व तीसरे स्थान आई टीम को भिलाई के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी श्री अनुप श्रीवास्तव के द्वारा विशाल आकर्षक कप प्रदान किया गया।

नवपदस्थ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ने ली रेंज के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक

दुर्ग। नव पदस्थ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री राम गोपाल गर्ग के द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को कार्यालय पुमनि दुर्ग रेंज में पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री राम कृष्ण साहू , श्री पुलिस अधीक्षक बालोद श्री सरजू राम भगत के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व में घटित अपराध व शातिर अपराधियों के बारे में जानकारी लेने के साथ ही, अपराध नियंत्रण पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अपराध बढ़ने नहीं दिया जाय और न ही अपराधियों, माफियाओं व दबंगों को पनपने दिया जाय।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर मस्कट में बंधक महिला मुक्त

स्वदेश कवर्धा। परित्राणाय साधुनाम, गीता के इस वाक्य को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना ध्येय वाक्य रखा है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर विदेशों में भी फंसे लोगों की मदद के लिए पहल कर इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं। मस्कट में बंधक बनाई गई खुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका के मामले में ओमान स्थित इंडियन एम्बैसी से उप मुख्यमंत्री शर्मा ने लगातार संपर्क किया। त्वरित की गई कार्रवाई के पश्चात दीपिका को सुरक्षित एम्बैसी लाया गया। ओमान में इंडियन एम्बैसडर से उपमुख्यमंत्री लगातार संपर्क में रहे। विधानसभा से भी वे लगातार इस मामले पर अपडेट लेते रहे। उन्होंने बंधक बनाई गई महिला से बातचीत भी की। उन्होंने दीपिका से सबसे पहले हालचाल पूछा। दीपिका ने बताया कि अभी बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मस्कट की एम्बैसी में आ गई हूँ। शर्मा ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिये। आपके आने की व्यवस्था हम करेंगे। आप मेरा नंबर रख लीजिए। आप छत्तीसगढ़ आने के बाद मुझे फोन करिये और आप अपने साथ मस्कट में हुए वाकये के बारे में बताइये। आपको जिन लोगों ने धोखा दिया, उस मामले की तह में जाकर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले की निवासी जे. मुकेश ने पुलिस को आवेदन दिया कि उनकी पत्नी खुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका नामक महिला को घरेलू काम दिलाने के बहाने हैदराबाद निवासी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने ओमान देश की राजधानी मस्कट निवासी हाफिजा के घर गत वर्ष मई 2023 में भेजा था।

राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता दुर्ग में 4 फरवरी से 7 फरवरी को

कसडोल। 67 वी राष्ट्रीय शालेय क्रिडा प्रतियोगिता दुर्ग में 4 फरवरी से 7 फरवरी को हुआ जिसमे गतका विधा मे शा उ मा विधालय कटगी के हरिकृष्ण पिता राधेश्याम व खुशबु पिता संजय ने बेहतरीन खेल का पर्दशन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया ।उन्होंने विद्यालय व ग्राम का नाम केवल प्रदेश ही नही देश मे भी बढ़ाया है जिसके लिए उन्हें ग्राम व विद्यालय परिवार ने बधाई व शुभकामनाएं दी है । ज्ञात हो कि उनकी इस उपलब्धि पर ग्राम मे खुशी का माहौल है कटगी विद्यालय मे प्राचार्य व स्ताफ के लोगो ने इन खिलाडियों का स्वागत श्री फल दे कर किया वही इन खिलाडियों को कोचिंग देने व यहाँ तक पहुचाने मे विद्यालय के व्ययाम शिक्षक आलोक मिश्रा और अविनाश मिश्रा का योगदान रहा है ।

आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 शाखा कार्यालय- स्काई पार्क, यूनिट नंबर 402 और 403, चौथी मंजिल, आसन्न जीई रोड, रवि नगर, सामने। रानी सती मंदिर, रायपुर छत्तीसगढ़-492001

परिशिष्ट IV
देखें प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम -8 (1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन के तहत **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी हैं। सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **17-04-2023 को मांग नोटिस जारी किया गया था कर्जदार इंदल कुमार साहू, तोमिन साहू, रु. 16,35,468.62 (रुपये सौलह लाख पैंतीस हजार चार सौ अड्सठ रुपए एवं बांसठ पैसे)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर।

कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद द्वारा कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम के **फरवरी का छठवां दिन वर्ष 2024** के सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ें।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति के साथ सौदा और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी **रु. 16,35,468.62 (रुपये सौलह लाख पैंतीस हजार चार सौ अड्सठ रुपए एवं बांसठ पैसे)** और उस पर ब्याज। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर बी-4-310, तीसरी मंजिल, सुपर बिल्ट-अप एरिया 625 वर्गफिट का वह सारा टुकड़ा और पार्सल तीसरी मंजिल पर, खसरा नंबर 65/3, 65/4, 65/5 पर निर्मित, जिसका माप 71,438 वर्गफिट है। प.ह.नं. 101/29, स्थित डी.एम. टावर्स, रावभाटा, आर.एन.एम. धरसीवा-1, पी.सी. क्रमांक 100, वार्ड क्रमांक 20, पं. सुंदर लाल शर्मा वार्ड (पुराना वार्ड नंबर 18), रायपुर, छत्तीसगढ़ 493221, और इसकी **सीमा: पूर्वः** फ्लैट नंबर 311 और 312 **पश्चिमः** फ्लैट नंबर 308 और 309 **उत्तरः** अन्य प्लॉट **दक्षिणः** फ्लैट नंबर 306 और 307.

दिनांक: 06/02/2024
स्थान: रायपुर

अधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
मदरटेरेसा नगर जोन क्र.-3
निविदा सूचना

क्र./लो.क.वि/न.नि./2024/643/438 निविदा सूचना — भिलाई, दिनांक 02/02/2024

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से लोक निर्माण विभाग के भवन / सड़क एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 एवं इलेक्ट्रिकल एस ओ आर 01.06.2020 से लागू तथा नान एस ओ आर पर एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक पर निम्न लिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आंमत्रित की जाती है।

कार्य क्र.-01 हेतु निविदा तिथि
1. निविदा जारी करने की तिथि- दिनांक 02.02.2024
2. निविदा प्राप्ति की तिथि- दिनांक 23.02.2024 सांय 5.30 बजे तक
3. निविदा खोले जाने की तिथी - दिनांक 26.02.2024
4. आवेदन की अंतिम तिथि -दिनांक 15.02.2024 सायं 5.30 बजे तक

कार्य क्र.-02 हेतु निविदा तिथि
1. निविदा जारी करने की तिथि- दिनांक 02.02.2024
2. निविदा प्राप्ति की तिथि- दिनांक 19.02.2024 सांय 5.30 बजे तक
3. निविदा खोले जाने की तिथी- दिनांक 20.02.2024
4. आवेदन की अंतिम तिथि- दिनांक 12.02.2024 सायं 5.30 बजे तक

क्र0	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	जोन क्र.-03 अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु से ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य।	8.81	7500.00	750.00	आवश्यक तानुसार
2	वार्ड क्र.-34 मिलन चौक निषाद सेवा समिति दिनेश मराठा घर के पास बोर खनन् कार्य। (द्वितीय बार)	1.50	2000.00	300.00	45 दिन

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर निगम भिलाई के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in and चिप्स की वेबसाईट eproc.cgstate.gov.in और bhilai.urbanecg.gov.in से देखी जा सकती है। धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी, जमा करना होगा तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, जी एस टी प्रमाणपत्र, पेनकार्ड / आयकर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जीवित साल्वेंसी की छायाप्रति एवं नोटरी से जारी (100/-रू.) का शपथ पत्र की मूलप्रति, लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है एवं निविदाप्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। संपत्तिकर भू-भाटक की राशि निगम कोष में जमा कर विकास कार्यों में सहयोग करें। जल ही जीवन है जल का सदुपयोग करें उसे व्यर्थ न बहाएं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ एवं सुदंर भिलाई।

जोन आयुक्त

कार्यालय नगर पालिक निगम जोन क्र 03 बिलासपुर (छ.ग.)
निविदा सूचना

क्र.37/न.पा.नि./जोन क्र.03/2023-24 — दिनांक 05/02/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा दिनांक 27/02/2024 को सायं काल 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर में विभिन्न स्थानों में नाली/ सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	6.00	4500	750
2	वार्ड क्र. 19 महाराष्ट्र मंडल सामुदायिक भवन में अधूरे शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कार्य।	5.00	5000	750

नगर निगम के विभागीय वेब साईट www.bilaspurnagarnigam.com से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जोन आयुक्त, जोन क्र.03
नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

Green City, Clean City, Dream City.

RELIANCE Asset Reconstruction
रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि.
पंजी. कार्यालय : 11वी मंजिल, उत्तर तरफ, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व) मुम्बई 400063

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने रिलायंस केपिटल लिमिटेड से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। चूंकि उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में विफल रहे हैं, ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 28.12.2017 को रिलायंस केपिटल लिमिटेड द्वारा गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रुप में वर्गीकृत किया गया है। 3. इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से दिनांक 09.12.2016 को आरसीएल का रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) में विलय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप आरसीएफएल को आरसीएल की जगह आरसीएल रिलायंस कैपिटल लिमिटेड द्वारा दिए गए ऋण से निपटने के सभी अधिकार प्राप्त हो गए 28 मार्च 2018 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से रिलायंस केपिटल लिमिटेड ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं की वित्तीय संपत्ति को उसके सभी अधिकार, हक और हितों के साथ-साथ सभी अंतर्निहित सुरक्षा हितों के साथ आरएआरसी **048 (आरसीएफएल)** ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में सौंप दिया।

उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **04.01.2024** को पंजीकृत डाक के माध्यम से मांग नोटिस भेजा था, जिसमें उधारकर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित पूरे बकाया को और आगे के ब्याज के साथ चुकाने का आह्वान किया। हालांकि, चूंकि मांग नोटिस नीचे उल्लिखित कुछ पार्टियों को सेवित नहीं किया जा सका है, इसलिये इसे सेवा के वैकल्पिक तरीके के माध्यम से उधारकर्ताओं को सेवित किया जाता है।

यह डिमांड नोटिस माननीय डीआरटी, जबलपुर द्वारा दिनांक 09.11.2023 को पारित आदेश में उल्लिखित निर्देश के अनुपालन के बाद जारी किया गया है।

विवरण निम्नानुसार है

ऋणी/जमानतदारो/बंधककर्ताओं के नाम एवं पता	कुल बकाया (रु. में)
1. **मेसर्स मामराज एण्ड संस** (ऋणी) प्रोप्राइटर, स्व. फूलचंद अग्रवाल (द्वारा उनके कानूनी वारिस) **पता:** बलोदा बाजार रोड़, खरोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 2. **श्री संजीव कुमार अग्रवाल** (सह-आवेदक एवं कानूनी वारिस एवं स्व. श्री फूलचंद अग्रवाल के पुत्र) **पता:** वार्ड नं. 11 अंबिका राईस मिल, खरोरा तिल्दा, बलोदा बाजार रोड़, रायपुर, छ.ग.-492001 3. **श्री राजीव कुमार अग्रवाल** (सह-आवेदक एवं कानूनी वारिस एवं स्व. श्री फूलचंद अग्रवाल के पुत्र) **पता:** वार्ड नं. 11 अंबिका राईस मिल, खरोरा तिल्दा, बलोदा बाजार रोड़, रायपुर, छ.ग.-492001 4. **श्रीमती सरिता चौधरी** (कानूनी वारिस एवं स्व. श्री फूलचंद अग्रवाल की पुत्री) **पता:** 145 बी.टी रोड़, डनलोप कलकत्ता-700108 5. **श्रीमती मंजुलता सिंघानिया** (कानूनी वारिस एवं स्व. श्री फूलचंद अग्रवाल की पुत्री) **पता:** सिंघानिया पैलेस, सुंदर बस्ती, पीओ बारबिल, जिला-क्योंझर, उड़ीसा-758035 6. **श्रीमती नीलम मित्तल** (कानूनी वारिस एवं स्व. श्री फूलचंद अग्रवाल की पुत्री) **पता:** बैंक ऑफ इंडिया के पास, गोविंद नगर, कदमा, जमशेदपुर, झारखंड 7. **मंजु अग्रवाल** (सह-आवेदक) **पता:** वार्ड नं. 11 अंबिका राईस मिल, खरोरा तिल्दा, बलोदा बाजार रोड़, रायपुर, छत्तीसगढ-492001	₹ **5,60,52,731.55/-** (रुपये पांच करोड़ साठ लाख बावन हजार सात सौ इकत्तीस एवं पचपन पैसे मात्र) दिनांक 31.12.2023 को

सुरक्षित चल /अचल संपत्तियों का विवरण : वाणिज्यिक भूमि ख. नं.501, एवं 502/1, पह नं.26 मौजा कैसला, आरएनएम-खरोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़-493225, **संपत्ति मालिक : मामराज एण्ड संस, चर्तुसीमा :** उत्तर : खुला, दक्षिण : रोड, पूर्व : अंबिका राईस, पश्चिम : खुला

उपरोक्त संपूर्ण बकाया राशि को 60 दिनों की अवधि के भीतर चुकाने में विफल रहने की स्थिति में, अधोहस्ताक्षरी को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति पर लागू करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इसके साथ संदर्भित किसी भी सुरक्षित संपत्ति से संव्यवहार या स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है, चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हो। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम के तहत एक अपराध है और दंडनीय है।

हस्ते.
स्थानः रायपुर — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 08.02.2024 — रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र. /अ-2/2023-24
ग्राम- दर्रा, प.ह.नं.-11

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक शंकरलाल पिता रामप्रसाद जाति तेली साकिन डोंगरीडीह कास्तकार ग्राम दर्रा तहसील कसडोल जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम दर्रा स्थित भूमि खसरा नम्बर 340/6 रकबा 0.006 हेक. भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन कराने बाबत आवेदन पत्र, पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा दिनांक 14/02/2024 को सुनवाई नियत है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था को किसी भी प्रकार से कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वह स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से नियत पेशी तिथि तक अपना दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक 31/01/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर सहित जारी किया गया है ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मुहर — कसडोल(छ.ग.)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ)
ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
Main Portal: https: // eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक / दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	152305 प्रथम आमंत्रण 31.01.2024	कोरबा जिले के बंजारी में नवीन कॉलेज भवन एवं छात्रावास का निर्माण ,वा.स.से.फि. विद्युतीकरण बाउण्ड्रीवाल, पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण का शेष कार्य।	477.79
2	152332 प्रथम आमंत्रण 01.02.2024	जिला रायपुर के तांदुल पौंता मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का निर्माण कार्य।	267.42
3	152334 प्रथम आमंत्रण 01.02.2024	जिला रायपुर के विकासखण्ड आरंग के ग्राम घुमराभाठा से आरंग मार्ग लंबाई 2.80 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित।	632.09
4	152367 प्रथम आमंत्रण 02.02.2024	जिला धमतरी के झुरानदी से कसपुर मार्ग कि.मी. 1/2 से 5/4 = 4.40 कि.मी. का पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य।	606.04

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क. 01 दिनांक 21.02.2024 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 23.02.2024 निर्धारित है। निविदा निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

मुख्य अभियंता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जी- 07603/8 — लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

GRIHUM HOUSING FINANCE
Apna Ghar. Apni Pehchan.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालय: 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे - 411036 ब्रांच ऑफ यूनिट: पहली मंजिल, चावला कॉम्प्लेक्स, साई नगर, रायपुर -492099 (छत्तीसगढ़)।

ई-नीलामी-बिक्री सूचना
SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपति की बिक्री

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पढ़ें। सूचना इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है। 17 नवंबर 2023 से पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद इसे 'सिक्योर्ड क्रेडिटर' के रूप में जाना जाता है) अधिनियम के अनुसार), जिसका कब्ज़ा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत।

सुरक्षित संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से 23/02/2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट- https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

सं. क्र.	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {ए}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	संरक्षित कीमत {ई}	ईएमडी (आरपी का 10%) {एफ}	ईएमडी सबमिशन दिनांक {जी}	इंक्रीमेंटल बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तारीख और समय {जे}	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामले यदि कोई भी {के}
1	ऋण संख्या HL/0022/H/19/100026 ज्योति हटोटे (उधारकर्ता), शंकर राव (सह-उधारकर्ता)	नोटिस दिनांक: 17/04/2023 कुल बकाया: रु. 1269007.05 (रुपए बारह लाख उनहत्तर हजार सात और पांच पैसे मात्र) 17/04/2023 को @ 16.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय वसूली होने तक.	भौतिक	विचाराधीन संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल मौजा-विले में स्थित है। खेदामारा, प.ह.नं. क्रमांक 12/16, आर.एन.एम. दुर्ग-1, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.), ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत संपत्ति, प्लॉट नंबर 22-ए, पुराना खसरा नंबर (भाग) 147/1 (नया खसरा नंबर 147/19), माप 0.02 हेक्टेयर = 2200 वर्गफुट = 204.46 वर्गमीटर. (इसके बाद इसे प्रश्न संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया है)।	रु. 10,47,375/- (दस लाख सैंतालीस हजार तीन सौ पिचत्तर रूपये केवल)	रु. 1,04,737.5/- (एक लाख चार हजार सात सौ सैंतीस रूपये एवं पचास पैसे मात्र)	22/02/2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	16/02/2024 (11 पूर्वाह्न-4 अपराह्न)	23/02/2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	नहीं

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-बोली के लिए अनिवार्य है। पता- प्लॉट नंबर-68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी - Support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्ति - विनोद चौहान, ईमेल आईडी - delhi@cvindia.com संपर्क नंबर - 9813887931। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उनसे ही ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 'पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी। खाता संख्या-00651000460 और आईएफएससी कोड- आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड-कोलकाता-700001, किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 22/02/2024 को या उससे पहले निकाला गया और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और प्राप्त करें उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ई-मेल करना होगा और पते पर स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी भेजनी होगी- पहली मंजिल, चावला कॉम्प्लेक्स, साई नगर, रायपुर-492099 ((छत्तीसगढ़) मोबाइल नं. +91 8588802671 और +91 9567626050 ई-मेल आईडी rahul.rv @poonawallahusing.com .

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं। इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को 15 दिनों का नोटिस माना जाना चाहिए।

दिनांक : 08.02.2024 स्थान : छत्तीसगढ़ — एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)